

प्रेषक,

46/2021/807/सैंतीस-2-2021-5(53)/2018 टीसी-2

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
पशुधन, 30प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

पशुधन-2

लखनऊ ::

दिनांक: 04 अप्रैल, 2021

विषय: प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु स्थापित गो-आश्रय स्थलों पर ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था के संबन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित किया गया है एवं सरकार के प्राथमिकता के कार्यों में चिन्हित कार्यक्रम है। प्रदेश में अधिक संख्या में गोवंश को संरक्षित किया गया है एवं यह कार्य निरन्तर जारी है। इसी के साथ-साथ प्रत्येक मौसम में गोवंश की सुरक्षा हेतु समय-समय पर विभिन्न स्तर से निर्देश भी निर्गत किए गये हैं, जिनका पालन सुनिश्चित कराया जाना अतिआवश्यक है।

मैं आपका ध्यान इस ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से गोवंश को बचाने हेतु समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित कराए जाने हेतु आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रत्येक गो-आश्रय स्थल पर प्रभावी निगरानी कराते हुए गोवंश को धूप एवं गर्मी से बचाव के लिए शेड इत्यादि की व्यवस्था करवायी जाय। यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि गो-आश्रय स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में भूसा/पराली, अन्य आवश्यक फीड यथा हरा चारा, दाना इत्यादि के साथ-साथ पीने हेतु स्वच्छ/ताजा पानी, उपचार, चैकीदार आदि की व्यवस्था हो ताकि गोवंश के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बनाए रखने के साथ-साथ अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली किसी भी पशु हानि को रोका जा सके।

उक्त के साथ ही साथ मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में गेहूँ की कटाई का समय है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक अंचलों में कम दर पर भूसे की उपलब्धता प्रासंगिक है। अतः गो-आश्रय स्थलों हेतु स्थानीय स्तर से पर्याप्त मात्रा में भूसे का क्रय करवाने एवं भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत भी कराया जाय।

भवदीय,

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक 46/2021/807//सैंतीस-2-2021-5(53)/2018 टीसी-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री 30प्र0।
- 3 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/उद्यान/राजस्व/गृह/पंचायती राज/ग्राम्य विकास /नगर विकास /खाद्य एवं रसद।
- 4 निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5 समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड2 पशुपालन विभाग, 30प्र0।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।